न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
20/15	16.01.2015	20/12/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. छीतरनाथ आत्मज किशन नाथ
2. तुलसा पुत्री किशन नाथ
3. जमना बाई पुत्री किशन नाथ
4. ललता पुत्री किशन नाथ
5. अयोध्या बाई बेवा किशन नाथ जाति नाथ निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. धन्नी बाई पुत्री रतन नाथ जाति नाथ निवासी फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री भारत शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद में वादी नं0 1 ता 4 के दादा व वादी नं0 5 के ससुर रतना वल्द नोंदा के खातें में ख0नं0 37 की 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 38 की 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 102 रकबा 23 बीघा, ख0नं0 154 की 11 बिस्वा, ख0नं0 181 की 13 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज चली आ रही थी। रतना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादीगणके पिता व पति किशन नाथ एवं रतना की पुत्री धन्नी व जनको के नाम दर्ज हुई। बाद सेटलमेंट उपरोक्त भूमि के नवीन ख0नं0 170 रकबा 3.02 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 199 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 200 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.21 हे0 कायम किये गये तथा किशन नाथ की मृत्यु हो जानें से उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व जनको के शामलाती खातें में दर्ज की गई। उक्त भूमि पर धन्नी व जनको का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, किशन नाथ की मृत्यु के बाद वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार जनको (जनकू बाई) का देहावसान दिनांक 04.10.12 को हो चुका है, जिससे धन्नी व जनको का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उपरोक्त भूमि में से अपना नाम नहीं हटानें पर तथा भूमि को रहन, बैचान, खुर्द बुर्द, अन्तरण व हस्तान्तरण करनें की दिनांक 09.01.2014 को धमकी देनें पर पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 170 रकबा 3.02 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 199 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 200 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.21 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 1

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

व मृतक जनको पुत्री रतन नाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को तथा उसके किसी भाग को रहन, बैचान व खुर्द बुर्द नहीं करें ओर न किसी प्रकार का दस्तावेंज आलेखित कर भूमि हस्तान्तरित करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपनें एजेन्ट से ही करवाये। प्रतिवादी नं0 2 को अमल दरामद करनें हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जानें हेतु आदेश प्रदान किया जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये--

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2066–69 खाता नं0 25
2. प्रतिलिपि मृत्यु प्रमाण पत्र जनकु बाई दिनांक 05.01.2013
3. छायाप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2043–62
4. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2031–34 खाता नं0 62

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री गिरिराज मीणा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया। उभयपक्ष नें प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि ग्राम फतेहपुर खुश्क स्थित विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 अपना नाम हटाया जानें पर कोई आपत्ति नहीं है एवं वाद में जनकू बाई की मृत्यु हो जानें चुकी है। उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जानें पर वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें राजीनामा तस्दीक किये जानें का निवेदन किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री भारत शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 की पहचान अधिवक्ता श्री गिरिराज मीणा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमति जाहिर की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2066–69 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 तथा जमको विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त भूमि पक्षकारान् को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से होती है। चूंकि जमको की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी नं0 1 धन्नी नें स्वयं अपना नाम हटाये जानें की सहमति प्रदान की है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 170 रकबा 3.02 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 199 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 200 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.21 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 1 धन्नी बाई व मृतक जनको (जनकू बाई) पुत्री रतन नाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 20/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. छीतरनाथ आत्मज किशन नाथ
2. तुलसा पुत्री किशन नाथ
3. जमना बाई पुत्री किशन नाथ
4. ललता पुत्री किशन नाथ
5. अयोध्या बाई बेवा किशन नाथ जाति नाथ निवासीगण फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. धन्नी बाई पुत्री रतन नाथ जाति नाथ निवासी फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–20/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 170 रकबा 3.02 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 199 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 200 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.21 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 1 धन्नी बाई व मृतक जनको (जनकू बाई) पुत्री रतन नाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/12/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
दीगोद

Scanned by CamScanner